PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

Email:- eepmgsykalsi@rediffmail.com
Tel:- 01360-275015

पत्र सं0 221 /22सी दिनांक: 17/2/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 6.150 कि.मी.) हेतु 1.736 है0 हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ: FP/UK/ROAD/27520/2017 दिनांक 08.02.2018 का इ.डी.एस आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की आपत्तियों का निराकरण निम्न अनुसार किया जा रहा है:

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
	The fresh proposal received online in this office on 16.01.2018 and following shortcomings are found in the proposal, which may be attended by the State Govt.:-	
1-	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown at very few points. State Govt. may provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	In original proposal already submitted approximate 35 points of road alignment and 6 points of muck disposal total no. 41 points and original Proposal (Page No. 20) already submitted with CD. at GOI.
2.	State Govt. may provide justification for locating the Project in forest land instead of benefits of road at para D in part I and the should be authenticated by DFO.	Already submitted with original proposal and also authencated by DFO at Page No. 23 in original proposal.
3.	Details of employment likely to be generated is seems incorrect at para-E Part-I online.	After reviewing seems to be correct and please consider.
4.	State Govt. may upload original clear scanned copy of FRA certificate at para K in part I.	Scanned copy of FRA certificate enclosed and uploaded in Part-I.
5.	State Govt. may upload all required documents with proper referencing in addl. Document in part I i.e. administrative approval, geologist report etc.	All required documents with proper referencing been uploaded online in Part-I and addl. Document in Part I as required.
6.	It is seen from data given in para 14 of part II that the CA stipulated is not commensurate with the forest land diverted which is required to be reviewed.	Is to be done by your side (DFO).
7.	State Govt. may upload original clear scanned copy of SIR at para 15 in part II.	Is to be done by your side (DFO).
8.	CF recommended the case with certain conditions. Comments of DFO and User agency is reqyired in this regard at para 16 in part II.	Is to be done by your side (DFO).
9.	Original hard copy of part II to V, detailed note, certificate of non-availability of non forest land, undertaking to bear cost of CA and NPV by user agency is required.	Is to be done by your side (DFO) and undertaking to bear cost of CA and NPV uploaded now in additional document.

संलग्न – 3 पत्रानुसार

for 17/02/18
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0, कालसी

पत्र सं0: / दिनांक: /02/2018

प्रतिलिपि:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, एफ.आर.आई., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0, कालसी

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 936 दिनांकः– 22/7/2017

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 21.07.17 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ **मोटर मार्ग** के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **1.736 हैक्टेयर** भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–चकराता द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **1.736 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के रिखनांड रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– चकराता की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(अनुराग शंखधर)	(दीप चन्द्र आर्य)	(एस0 ए0 मुरुगेसन)
जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी, देहरादून
देहरादून	चकराता वन प्रभाग	जिलाधिकारी
	देहरादून	देहरादून

पृ0स0 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, हरिद्वार (मुख्यालय–कालसी)

(एस0 ए0 मुरुगेसन)
जिलाधिकारी, देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 936 Dated 22/7/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **1.736** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Rangau** Village in **Chakrata Tehsils.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.736** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure . Page No 43

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
देहरादून

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. S. A. Murugesan , I.A.S. District Magistrate on Dated .21..07..17 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **1.736 Hect** for the Construction of **Chakrata-Lakhamandad M/R (Goraghati) to Rangau** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Chakrata** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 22.07.2017

District Magistrate
District level Committee
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, –चकराता

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, चकराता

उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.736 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 1.736 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–चकराता) की दिनांक 06.03.2017 .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रत्युष सिंह (I.A.S.) उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री प्रत्युष सिंह उपजिलाधिकारी चकराता .... अध्यक्ष
2 श्री एस0के0 काला उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी .... सदस्य
3 श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी चकराता .... सदस्य / सचिव
4 श्री केशर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र (पुनाह- पोखरी (रंगेऊ)) .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के नवनिर्माण** कार्य परियोजना हेतु **1.736 है0 वन भूमि (शून्य है0** आरक्षित वन भूमि एंव **1.736 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास** विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

क्षेत्र पंचायत सदस्य पुनाह पोखरी

ग्राम पंचायत

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चकराता** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **1.736 है0** वन भूमि **(शून्य है0 आरक्षित वन भूमि एंव 1.736 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग**, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चकराता,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चकराता,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
कालसी देहरादून

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

बी० डी० सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य पुनाह

R.S. Rawat

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– रंगेऊ

तहसील– चकराता, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है0, सिविल सोयम भूमि 1.736 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 1.736 है0, वन भूमि का हस्तान्त[रण] ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्[तन] करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **रंगेऊ** द्वारा दिनांक 18/02/2017 को सम[्पन्न] ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनाप[त्ति] प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 [के] प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **रंगेऊ** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 नि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
ग्रा0 पं0 विकास अधिकारी
राय प0 ...
वि0ख0 ... दे0दून

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 18/02/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम–रंगेऊ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगमोहन सिंह रावत	जगमोहन
2	" धुम सिंह	धुमसिंह
3	" किशन सिंह	किशनसिंह
4	" गुलाब दत्त नौटि	गुलाबदत्त
5	" सन्तराम	सन्तराम
6	" मायाराम	मायाराम
7	" सुनील	सुनील
8	" विजयराम	विजयराम
9	" ज्ञान दास	ज्ञान दास
10	" मन्नू	मन्नू
11	" भजन सिंह	[illegible]
12	" खजान	खजान
13	" मदी	मदी
14	" ओमप्रकाश	ओमप्रकाश
15	" रणवीर सिंह रावत	R. S. Rawal
16	" अनिल नौटियाल	अनिल
17	" राजपाल सिंह रावत	Rajpal
18	" परमा	परमा
19	श्रीमती– कलदेई	कलदेई
20	" " – विमला	विमला देवी

वार्ड मेम्बर

21 " " – सरोजनी — सरोजनी

22 – आशाराम — AshaRam

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोरघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम – सीड़ी बरकोटी

तहसील – चकराता, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता– लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोरघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है0 सिविल सोयम भूमि 1.736 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 1.736 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीड़ी बरकोटी द्वारा दिनांक 18.02.20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में अधिशासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकरों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सीड़ी बरकोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 नि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ह0 प्रमिला देवी
दि0 12/02/17

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 18.02.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– सीढ़ी बरकोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमिला देवी	
2	सरदार सिंह	
3	तुलाराम	तुला
4	जीवन सिंह	जीवन
5	मान सिंह	मानसिंह
6	जवीर सिंह	जवीर
7	केसर सिंह	[illegible]
8	जगत सिंह	जगत सिंह
9	वचन सिंह	वचन
10	सुरवीर सिंह	सुरवीर
11	किशन सिंह	किशन
12	अर्जुन सिंह	अर्जुन
13	नंदराम	नंदराम
14	जवाहर सिंह	जवाहर सिंह
15	ताहर सिंह	कमलेश
16	कमलेश	ताहर सिंह
17	किशोर	किशोर
18	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
19	दौलत सिंह	दौलत
20	रूपचंद	रूपचंद
21	विनोद	विनोद
22	रखवान सिंह	रखवान सिंह
23	महावीर सिंह	महावीर
24	ठाकुर	[illegible]
25	सिपा राम	सिपाराम

ह० प्रमिला देवी
दि० 18/02/17
प्रधान ग्राम पंचायत सीढ़ी बरकोटी
चकराता जिला देहरादून उत्तराखण्ड

(प्रपत्र–51)

100 101

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अवर अभियन्ता कनि0 अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0खं0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0खं0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0खं0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer Constn. Divn. P.W.D. Kalsi

(प्रपत्र–50)

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 1.7360 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के V अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से ...... प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 6.57000 लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 11.40552 लाख मात्र किया गया है तथा वार्षिक लीज रेन्ट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

अवर अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

Executive Engineer
P.W.D.

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

(प्रपत्र–43)

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.7360 है0 है, के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 3.4720 है0 अनवरत सिविल भूमि ग्राम रंगेऊ में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अवर अभियन्ता / कनिष्ठ अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
चकराता

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

उपजिलाधिकारी
चकराता

जिलाधिकारी
देहरादून

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध कराई गई भूमि की ~~[struck-out word]~~ उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल (गोराघाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि जिसका क्षेत्रफल 1.736 है० है, के हस्तांतरण हेतु दुगने क्षेत्रफल 3.4720 है० अनवरत सिविल भूमि जिला देहरादून के परगना जौनसार बावर, खत-, तहसील-चकराता ग्राम-रंगेऊ, खाता संख्या 142, खसरा नं० 1521 जिसका कुल क्षेत्रफल -7.5 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गई है। तथा वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल वन भूमि 3.472 है० भूमि को मोटर मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जायेगी।

बरौंधा / स्वाली
चकराता

Office of Empanelled Geologist
पत्रांक 622 / 148व्यक–सा0 / 13 दिनांक 15 / 05 / 2013
P.W.D. Uttrakhand

Geological Investigation Report
E.G. – Road / Bridge / Alignment
Kalsi – 12 / 2015

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For – From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road, Block – Chakrata, Distt. Dehradun

18 Dec. 2015

J.P. Madhwal
Empanelled Geologist
Shantikunj, Lane-1,
Nehrugram Road,
Nathanpur, Dehradun
Phone – 0135 – 6448774
Mob – 9412965965
Email – jpmadhwal@gmail.com

Geological Assessment of the Alignment Corridor Proposed For – From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road, Block – Chakrata, Distt. Dehradun

J.P. Madhwal
18/12/2015

1. **Introduction :-** The Construction Division, Public Works Department, PMGSY Haridwar (HQ-Kalsi) has proposed the construction of 6.150 Km. long motor road named **From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road** on the request of the Executive Engineer, C.D. P.W.D. PMGSY, Haridwar (HQ-Kalsi) I carried out the geological assessment of the proposed alignment of the road in presence of Er. Praveen Rawat the concerned consultant.

2. **Location:-** The proposed alignment originates from the Chakrata-Lakhamandal Motor Road as a Branch Road connecting the unconnected village Rangeu having Ten H.P. Bends.

3. **Geological Assessment:-** The area of the proposed alignment is located in the Garhwal Lesser Himalayan Belt. The Barkot unit is exposed, phyllite, slate & mēta quartzite are exposed in and around the area of the proposed road. Mostly the quartzites which are hard compact and massive in nature are exposed on the slopes of the proposed alignment. These quartzites are interveined with the thin partings of phyllites which are chloritic in nature. These rocks are traversed by four prominent joint sets and at places they are weathered, oxidized and tectonized in nature. At along the alignment corridor bends of phyllites were also encountered. Most of the slopes across the alignment are inclined at steep to very steep and are generally oriented in N 150 to 320 direction. These rocks across the alignment slopes are mostly covered with the thin cȯver of overburden/ hill wash material and its thickness has been assessed between 1.0 m to 1.5 m order. It has been observed that about 85 percent to 90 percent of the alignment passes through the rocky slopes. The north easterly joints dissecting rock masses are sealed with the secondary inclusions and occasionally opened and infilled by the grounded/ crushed rock.

By and large the entire slopes of the proposed road are stable and free from any sliding/ mass wasting.

J. P. MADHWAL
M.Sc. GEOLOGY
EMPANELLED GEOLOGIST
P.W.D. UTTARAKHAND

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

The overburden material exposed along the alignment corridor is comprised of the scanty rock fragments of various shapes and sizes embedded in the clay- silt matrix. This overburden material is naturally well compacted and dense in nature.

The slope forming overburden material do not contain any soft/dispersive soils.

By and large the alignment slopes are stable and do not bear any signature of mass wasting/land sliding.

On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road.

4. Recommendation:-

(i) The alignment some time traverses along/across minor fault zone which is geologically fragile and special attention needs to be given for stability of road where alignment crossing the Nalas or Gads or local streams.

(ii) The hill slope is another factor responsible for geological hazards the road basically traverses the slope class 35^0 to 48^0 special attention needs to be given for stability where it is 48^0 to 65^0 in some parts.

(iii) Special attention must be give at the point of H.P. Bend at the time of construction of road.

(iv) From the road by half cut – half fill techniques and ensure the proper compaction of the fill material.

(v) Do not dispose the debris in hill side, dispose it in a safe zone.

(vi) Do not blast heavily on the rocks and blasting is restricted near the human settlement/ public property.

(vii) The road must have extra wide lined long drain with adequate cross drainage arrangement.

(viii) The road must be formed shoulder to shoulder paved, this is so to check the water ingress into the sub surface material.

J. P. MADHWAL
M.Sc. GEOLOGY
EMPANELLED GEOLOGIST
P.W.D. UTTARAKHAND

(ix) Construct suitably designed retaining walls/ Brest Wall all along the road, specially in H.P. Bends, it is essential for the overall stability of the hill slope.

(x) All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the IS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.

(xi) This report is prefeasibility report. At the time of construction it need separate geological concern.

5. Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site was found geologically suitable for the construction of 6.150 Km. long motor road named **From Chakrata-Lakhamandal Motor Road to Rangeu Motor Road,** Distt. Dehradun, Uttrakhand.

(J.P. Madhwal)
J. P. MADHWAL
M.Sc. GEOLOGY
EMPANELLED GEOLOGIST
P.W.D. UTTARAKH...

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 18.02.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– सीड़ी बरकोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमिला देवी	
2	सरदार सिंह	
3	तुलाराम	तुलाराम
4	जीवन सिंह	जीवन
5	मान सिंह	मान
6	रणवीर सिंह	रणवीर
7	केसर सिंह	[illegible]
8	जगत सिंह	जगत सिंह
9	वचन सिंह	वचन
10	शूरवीर सिंह	शूरवीर
11	किशन सिंह	किशन
12	अर्जुन सिंह	अर्जुन
13	नंदराम	नंदराम
14	जवाहर सिंह	ताहर सिंह
15	ताहर सिंह	कमलेश
16	कमलेश	ताहर सिंह
17	किशोरी	किशोरी
18	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
19	दौलत सिंह	दौलत
20	[illegible]	[illegible]
21	विनोद	विनोद
22	रणजीत सिंह	रणजीत सिंह
23	महावीर सिंह	महावीर
24	[illegible]	[illegible]
25	सियाराम	सियाराम

प्रधान ग्राम पंचायत सीड़ी बरकोटी
ह० प्रमिला देवी
दि० 12/04/17
जिला देहरादून उत्तराखण्ड

(प्रपत्र–13(b)

Justification of Land

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेगें। इस मोटर मार्ग से 800 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगें एंव इससे देश की उत्पादकता में बढोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढेगी। इस मोटर के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होगें जिससे स्थानीय निवासियों एंव सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एंव सडक न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती–बाडी के कामों में लग जाते है। लेकिन मोटर मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सके एंव शिक्षा के स्तर में बढोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगें एंव यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख–रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम रंगेऊ जिनकी जनसख्या को जोडा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से पिछडे गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तण की आवश्यकता होगी।

अवर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 नि0ख0 लो0नि0वि0, कालसी

सहायक अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer Construction Divn. P.W.D.

क्षेत्राधिकारी रिखनाड रेंज	उप–प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग

क्षेत्र अधिकारी रिखनाड रेंज चकराता वन प्रभाग

उप-प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग

– लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

Scale - 1:20,000

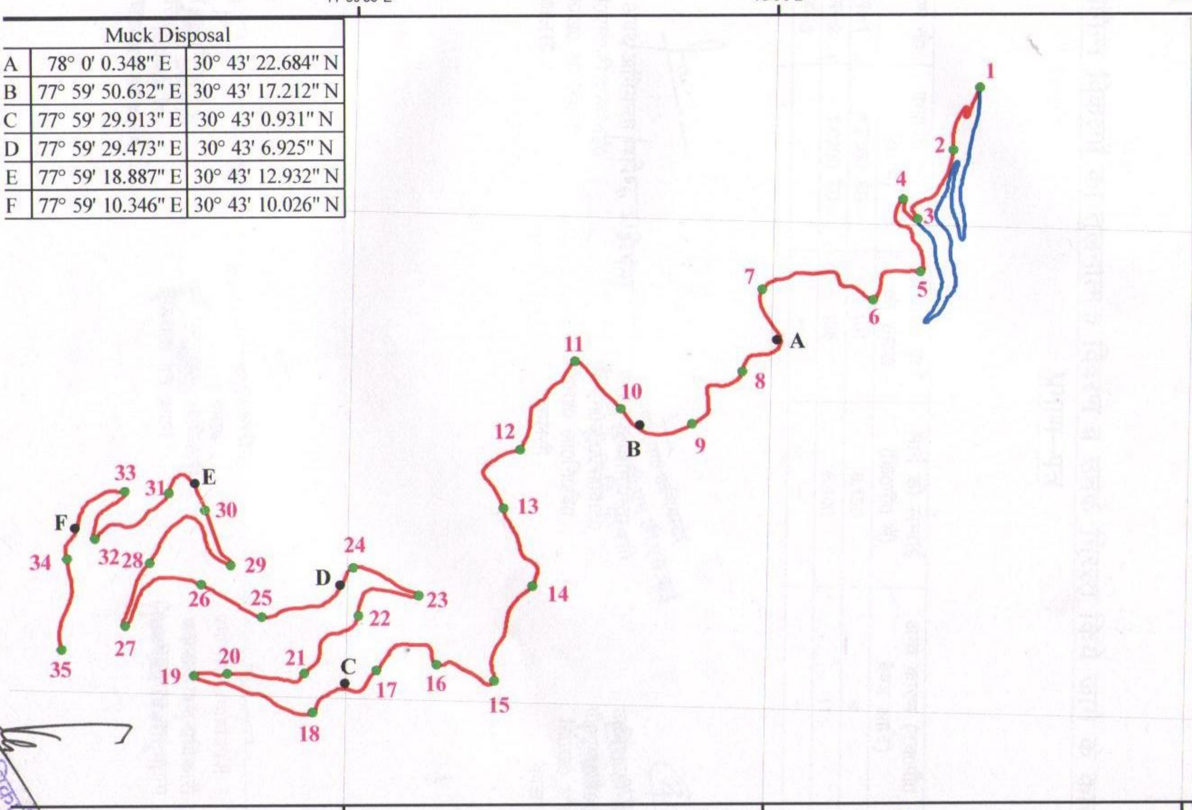

Muck Disposal		
A	78° 0' 0.348" E	30° 43' 22.684" N
B	77° 59' 50.632" E	30° 43' 17.212" N
C	77° 59' 29.913" E	30° 43' 0.931" N
D	77° 59' 29.473" E	30° 43' 6.925" N
E	77° 59' 18.887" E	30° 43' 12.932" N
F	77° 59' 10.346" E	30° 43' 10.026" N

ID	Longitude	Latitude
1	78° 0' 14.509" E	30° 43' 38.511"
2	78° 0' 12.695" E	30° 43' 34.624"
3	78° 0' 10.169" E	30° 43' 30.366"
4	78° 0' 10.027" E	30° 43' 28.919"
5	78° 0' 7.644" E	30° 43' 26.110"
6	78° 0' 2.986" E	30° 43' 26.868"
7	77° 59' 59.486" E	30° 43' 24.222"
8	77° 59' 57.863" E	30° 43' 20.688"
9	77° 59' 54.399" E	30° 43' 17.368"
10	77° 59' 49.293" E	30° 43' 18.208"
11	77° 59' 45.106" E	30° 43' 20.061"
12	77° 59' 42.138" E	30° 43' 15.516"
13	77° 59' 41.024" E	30° 43' 11.885"
14	77° 59' 43.202" E	30° 43' 7.134"
15	77° 59' 40.409" E	30° 43' 2.364"
16	77° 59' 36.440" E	30° 43' 2.183"
17	77° 59' 32.178" E	30° 43' 1.754"
18	77° 59' 27.668" E	30° 42' 59.075"
19	77° 59' 22.227" E	30° 43' 0.454"
20	77° 59' 21.498" E	30° 43' 1.306"
21	77° 59' 26.978" E	30° 43' 1.474"
22	77° 59' 30.789" E	30° 43' 5.078"
23	77° 59' 34.820" E	30° 43' 6.557"
24	77° 59' 29.761" E	30° 43' 7.230"
25	77° 59' 24.816" E	30° 43' 4.975"
26	77° 59' 19.464" E	30° 43' 6.724"
27	77° 59' 14.749" E	30° 43' 5.135"
28	77° 59' 15.798" E	30° 43' 7.991"
29	77° 59' 19.656" E	30° 43' 9.871"
30	77° 59' 20.197" E	30° 43' 10.172"
31	77° 59' 17.020" E	30° 43' 12.265"
32	77° 59' 12.213" E	30° 43' 9.772"
33	77° 59' 12.884" E	30° 43' 12.364"
34	77° 59' 9.830" E	30° 43' 8.090"
35	77° 59' 9.557" E	30° 43' 2.534"

Legend

- Muck Disposal Point
- MRoad Gps Point
- Proposed Road
- Existing Road

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड पी.एम.जी.एस.वाई
लो.नि.वि. कालसी

Executive Engineer
Constn. Divn., P.W.D.
-Kalsi

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

13

महत्वपूर्ण / फैक्स

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या 1859 / पी3–14 / यू.आर.आर.डी.ए. / 12 दिनांकः 04 जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून की 250–499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गो से संयोजित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार स्टेज–I के 09 एवं स्टेज–I व II के 14, कुल 23 मार्गो, अनुमानित लम्बाई 210.00 किमी0 का चयन किया गया है। इन मार्गो के विस्तृत सर्वेक्षण तथा मार्ग के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि एवं नापभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव तैयार करकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार व राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने एवं एन0आर0आर0डी0ए0, भारत सरकार के अद्यतन निर्देशानुसार डी0पी0आर0 गठन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। तत्पश्चात् इन मार्गो के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कालसी, देहरादून।

संलग्नकः यथोपरि।

सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

परिशिष्ट 'क'

Proposed Road works under PMGSY : (Population 250-499)

Dehradun

Attachment of G.O. No. 1859/P3-14/URRDA Dt. 04-01-2012

	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road				Habitations to be Connected
			From	To	Stage-I/II	Approx. Length (Km)	
	3	4	5	6		7	8
	Namou	275	Km 22.60 of MDR 33	Namou	I	5.00	Namou(275)
	Umrau	442	Kotha Tarli	Umrau	I	9.00	Umrau(442)
	Danda	343	Deman	Atliyo-Danda-Desau	I	13.00	Atliyo(325), Danda(343), Desau(238)
	Mangroli	415	Chakrata	Mangroli	I	9.00	Mangroli(415)
	Ashtad	318	Kotha Band	Ashtad	I&II	15.00	Narya(465), Astad(318)
	Aara	423	Kotha Band	Aara	I&II	6.00	Aara(423)
	Uprauli	439	Udpalta	Uproli	I&II	4.00	Uprauli(439)
si	Makhti	381	Magti Pokhri (LVR)	Marb Khora	I&II	12.00	Makhti(381), Marb Khora(234)
si	Devou		Dheora	Devou	I&II	9.50	Devou(443)
si	Mandoli	330	Lelta Link Road	Mandoli	I&II	12.00	Mandoli(330)
si	Chandau	279	Kotha Band	Chandau	I&II	6.50	Tipau(302), Chandau(279), Khoi(308), Suapu(278)
lsi	Janodow	306	Bhartkhi	Janodow	I&II	7.00	Badhau(298), Dabara(268), Janodow(306)
alsi	Gothan Joshi	268	Bisogilani	Gothan Joshi	I&II	4.00	Gothan Joshi(268)
alsi	Birmau	317	Km 22.6 of MDR 33	Birmau	I&II	3.00	Birmau(317)
alsi	Rikhar	412	Purodi	Rikhar	I&II	3.00	Rikhar(412)
akrata	Jagthan	492	Km 8.00 of MDR 37	Jagthan	I	36.00	Buraila(273); Jagthan(492)
akrata	Dimich	322	Kailan Khad	Dimich	I	8.00	Dimich(322)
hakrata	Paturi	264	Dharmigad Kathiyan Km 30	Paturi	I	6.00	Paturi(264)
hakrata	Kandar	361	Kharsi Link Km 5.00	Kandar	I	7.00	Indroli(417), Kandar(361)
Chakrata	Rangeu	389	Chakrata Lakhmandal	Rangeu	I	7.00	Rangeu(389)
Chakrata	Sainj	250	Chakrata-Tyuni Motor Road	Sainj	I&II	6.00	Sainj(250)
Chakrata	Bhoot	316	Kathiyan Hajad	Bhoot	I&II	7.00	Bhoot(316)
Chakrata	Khabau	423	Chakrata Lakhmandal (Kwansi Damta)	Khabau	I&II	15.00	Dwala(377), Jasta(423), Kharwi(Khabau) (423)
				Total		210.00	

Chief Engineer
U.R.R.D.A.